मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 22 मार्च, 2007 (चैत्र 1, 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्री रामलखन शर्मा, सदस्य द्वारा प्रश्न संख्या-21 (क्रमांक 5014) जे.पी. सीमेन्ट नौबस्ता रीवा द्वारा लीज एग्रीमेन्ट शर्तों का उल्लंघन " संबंधी विषय पर शासन का उत्तर असंतोषजनक आने पर सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 128 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 135 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की शाजापुर जिले में मृत शासकीय सेवकों के वारिसों को स्वत्वों का भुगतान न किये जाने,

(2) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य की प्रोजेरिया नामक गंभीर बीमारी से बच्चे को शासन द्वारा आर्थिक सहायता न दी जाने,

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की प्रदेश के अनेक जिलों में ओला वृष्टि होने,

(4) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, कान्हा नेशनल पार्कों में निर्माण कार्य कराये जा रहे है उससे जानवरों को प्राकृतिक वातावरण न मिलने,

(5) श्री पंचूलाल प्रजापति, सदस्य की अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग रीवा को दी गई राशि निर्माण कार्य में फर्जी मस्टर रोल बनाए जाने,

(6) श्री प्रेम सिंह पटेल, सदस्य की बड़वानी जिले के ग्राम बलवाड़ बुजुर्ग में ग्रिड की स्थापना न की जाने,

(7) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य की अकजलपुर को मंदसौर सीतामऊ सड़क से जोड़े जाने,

(8) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य की बालाघाट उत्तर वन मण्डल के बैहर के सम्पूर्ण क्षेत्र में निस्तार डिपो बांसों की कमी होने,

(9) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य की सागर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच. 86 सिटी लिंक मार्ग निर्माण कार्य घटिया कराये जाने,

(10) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य की वन विभाग द्वारा पूरे राज्य में वन भूमियों पर काबिज जमीनों पर व्यापक पैमाने पर मुनारों का निर्माण कराये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005,

(2) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार :-

(क) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 48वां एवं 49वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 (दिनांक 1 जुलाई, 2004 से दिनांक 30 जून, 2005 तक तथा दिनांक 1 जुलाई, 2005 से दिनांक 30 जून, 2006 तक)

(ख) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 33वां एवं 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 (दिनांक 1 जुलाई, 2004 से दिनांक 30 जून, 2005 तक तथा दिनांक 1 जुलाई, 2005 से दिनांक 30 जून, 2006 तक)

(ग) डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 (दिनांक 1 जुलाई, 2004 से दिनांक 30 जून, 2005 तक तथा दिनांक 1 जुलाई, 2005 से दिनांक 30 जून, 2006 तक)

(घ) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 एवं 2005-2006 (दिनांक 1 जुलाई, 2002 से दिनांक 30 जून, 2003 तक तथा दिनांक 1 जुलाई, 2005 से 30 जून, 2006 तक)

(ङ) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 (दिनांक 1 अप्रैल 2004 से दिनांक 31 मार्च, 2005 तक)

(च) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का (दिनांक 30 जून, 2005 एवं 30 जून, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 जुलाई, 2004 से दिनांक 30 जून, 2005 तक तथा दिनांक 1 जुलाई, 2005 से दिनांक 30 जून, 2006 तक)

(छ) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा का 37वां एवं 38वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006, (दिनांक 1 जुलाई, 2004 से दिनांक 30 जून, 2005 तक तथा दिनांक 1 जुलाई, 2005 से दिनांक 30 जून, 2006 तक); तथा

(ज) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, ग्राम करौंदी, जिला कटनी का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 (दिनांक 1 जुलाई, 2005 से दिनांक 30 जून, 2006 तक),

पटल पर रखे।

(श्री राजेश पटेल, श्री अर्जुन पलिया, श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य अपनी-अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आ गये तथा कुछ समय पश्चात् वापस अपने अपने आसन पर चले गये)

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर जिले में सरसों उपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु व्यवस्था न किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री रविन्द्र सुका महाजन, सदस्य ने प्रदेश में कृषकों से बी.टी. कपास बीज का अधिक मूल्य लिये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

चौधरी चन्द्रभान सिंह, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार, सभापति ने लोक लेखा समिति का 304 वां से 349 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सभापति ने प्राक्कलन समिति का अष्टम्, नवम् तथा दशम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य की राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम संवासड़ा एवं पिपलोदी में हाई स्कूल प्रारंभ किये जाने, तथा

(ख) ग्राम ढाबलीकला से धामन्या तक मार्ग का डामरीकरण किये जाने,

(2) श्री बहादुर सिंह, सदस्य की उज्जैन जिले के -

(क) ग्राम झारडा में नवीन नल-जल योजना स्वीकृत किये जाने,

(ख) ग्राम गेलाखेड़ी से बैजनाथ व्याहा छिंगरी माओखेड़ी, गुराडियादासा तक सड़क बनाये जाने,

(ग) ग्राम खेड़ाखजूरिया में स्थित हायर सेकेण्डरी स्कूल में विज्ञान संकाय प्रारंभ किये जाने,

(घ) ग्राम महिदपुर में नवीन नल-जल योजना स्वीकृत किये जाने,

(ङ) ग्राम रणायरापीर में हाई स्कूल खोले जाने,

(च) ग्राम लाड़नपुर से मकलाखेड़ा व्हाया खदानिया, कानाखेड़ी हम्मा तक सड़क निर्माण किये जाने,

(छ) ग्राम डोंगला, बिनपुरा, बिसलखेड़ी, ईटावा तक सड़क निर्माण की स्वीकृति दिलाये जाने,

(ज) ग्राम मुण्डला से आलोट-बडोद व्हाया माल्या तक सड़क की स्वीकृति दिलाये जाने,

(झ) ग्राम झारडा में छात्राओं हेतु पृथक् हाई स्कूल स्वीकृत किये जाने, तथा

(ञ) ग्राम जगोटी में हाई स्कूल स्वीकृत किये जाने,

(3) श्रीमती अर्चना दीदी, सदस्य की बुरहानपुर जिले के -

(क) ग्राम छैगांवमाखन-डेढ़तलाई-अमरावती मार्ग को स्टेट हाईवे घोषित किये जाने एवं सड़क निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम बहादरपुर में सहकारी सूत मिल के कर्मचारियों एवं श्रमिकों को अंतिम वेतन, ग्रेच्युटी, मुआवजा, विशेष अनुदान की राशि दिलाये जाने,

(ग) बुरहानपुर पावर लूम उद्योग को विद्युत बिलों में कंसेशनल टैरिफ की दर 25 हार्सपावर से बढ़ाकर 75 हार्सपावर किये जाने, तथा

(घ) प्रदेश में पावरलूम उद्योगों के विकास हेतु क्रय की जाने वाली भूमि की दरों का 1.5 गुना स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट दिये जाने,

(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के -

(क) ग्राम बसिगड़ा में माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने, तथा

(ख) ग्राम खजुरहन में अवैधानिक कब्जों की भूमि को मुक्त कराकर अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब परिवारों को आवंटित किये जाने,

(5) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य की सीधी जिले के ग्राम चिनगवाह वार्ड क्रमांक-2 डोलकी टोला में विद्युतीकरण कराये जाने,

(6) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की कटनी जिले के -

(क) ग्राम सकरीगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कराये जाने,

(ख) ग्राम भजिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कराये जाने, तथा

(ग) ग्राम गणेशपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(7) श्री ताराचन्द बावरिया, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम सिरगोरा में दस बिस्तरीय अस्पताल खोले जाने, तथा

(ख) ग्राम परासिया एवं झुर्रेमाल में स्थित शासकीय माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(8) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) तहसील चौरई के गोकुल ग्राम नीलकंठी से निसानजानोजी, नवेगांव गौड़ तथा सालई छिन्दी तक सड़क का डामरीकरण व पुलिया निर्माण किये जाने, तथा

(ख) तहसील चौरई के ग्राम हलाल एवं सिवनी के ग्राम बेलपेठ के मध्य पेंच नदी पर सेतु निर्माण किये जाने, एवं

(9) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा), सदस्य की बालाघाट जिले के -

(क) तहसील वारासिवनी के ग्राम बेनी-डांगोरली घाट पर पुल निर्माण किये जाने,

(ख) तहसील वारासिवनी के ग्राम छोटी छापेवाड़ा के बीच बेनगंगा नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

(ग) वारासिवनी के जागपुर घाट पर पुल निर्माण किये जाने,

(घ) तहसील वारासिवनी के ग्राम रामपायली में 33/11 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन का निर्माण किये जाने, तथा

(ङ) वारासिवनी शहर को औद्योगिक फीडर के अन्तर्गत घोषित किये जाने,

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

7. जांच समिति के गठन की घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि दिनांक 16.3.2007 को कुप्रबन्धन के कारण विद्युत उत्पादन कम होने तथा व्यय अधिक होने के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या-22 (क्रमांक 3284) पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों की मांग एवं माननीय ऊर्जा मंत्री की सहमति के तारतम्य में समूचे प्रकरण की जांच हेतु मेरे द्वारा निम्नलिखित माननीय सदस्यों की समिति गठित की गई है :-

(1) श्री कैलाश चावला

(2) श्री सत्यदेव कटारे

(3) श्रीमती सुधा जैन

(4) श्री कृष्णकुमार सिंह (भंवर साहब)

(5) श्री राजवर्धन सिंह

(6) श्री लाल सिंह आर्य

(7) श्री रामलखन शर्मा

(8) श्री रामप्यारे कुलस्ते

(9) श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला

श्री कैलाश चावला, माननीय सदस्य इस समिति के सभापति तथा प्रमुख सचिव, विधान सभा समिति के पदेन सचिव होंगे।

यह समिति आगामी सत्र तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

8. सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि गुरुवार, दिनांक 22 मार्च, 2007 को रात्रि 08.00 बजे विधान सभा भवन स्थित आडिटोरियम में माननीय सदस्यों के लिये "कवि सम्मेलन" का आयोजन किया गया है।

माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों से सादर अनुरोध है कि "कवि सम्मेलन" में उपस्थित होने का कष्ट करें।

9. वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए नौ सौ इक्कीस करोड़, छियासी लाख, पैतीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 61	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए एक हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 79	चिकित्सा शिक्षा के लिए दो सौ छियानवे करोड़, सत्तर लाख, उन्नीस हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 19	3,7,8,9,10
मांग संख्या - 61	1,2,3
मांग संख्या - 79	1,2,3

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सत्यदेव कटारे

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्रीमती सुधा जैन

(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री इन्द्रजीत कुमार

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(5) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा
(6) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(7) श्री नरेश दिवाकर
(8) डॉ. गोविन्द सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(9) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(10) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(11) श्री आरिफ अकील
(12) श्री ध्यानेन्द्र सिंह
(13) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(14) श्री राजेन्द्र पाण्डेय
(15) श्रीमती सरोज बच्चन नायक
(16) श्री लाखन सिंह बघेल
(17) श्री राजेश यादव

श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री रूस्तम सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 15	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए पांच सौ उनचास करोड़ इकहत्तर लाख, पैंतीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 30	ग्रामीण विकास के लिए छह सौ पैंतालीस करोड़, अठासी लाख, अड़तालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए सात सौ चालीस करोड़, छप्पन लाख, बारह हजार रूपये,

अनुदान संख्या - 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए उनसठ करोड़, छियानवे लाख, सोलह हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 62	पंचायत के लिए उनसठ करोड़, बयासी लाख, पैंतीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 63	अल्पसंख्यक कल्याण के लिए दो करोड़, निन्यानवे लाख, सतहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 66	पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक सौ पैंसठ करोड़, बारह लाख, छिहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 71	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायो टेक्नॉलाजी) के लिए तीन करोड़, अठहत्तर लाख रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए चौदह सौ अठासी करोड़, सैंतीस लाख, तीस हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 15	2,3
मांग संख्या - 30	3,5,6
मांग संख्या - 52	1,2
मांग संख्या - 59	2
मांग संख्या - 62	1,3,4,7
मांग संख्या - 63	1,3
मांग संख्या - 66	1,4
मांग संख्या - 71	1
मांग संख्या - 80	1

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री हरवंश सिंह

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए

(2) श्री दुर्गालाल विजय

(3) श्री आरिफ अकील

(4) श्री रामलखन शर्मा

(5) श्री मनमोहन शाह "बट्टी"

(6) डॉ. आई.एम.पी.वर्मा

(7) डॉ. गोविन्द सिंह

(डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य के आसंदी के प्रति किये गये आचरण पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई)

(8) श्री गिरिजा शंकर शर्मा

10. घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-153 (2) के अनुसार 4.00 बजे तक अनुदान की मांगों के संबंध में कार्यवाही पूर्ण हो जाना चाहिए और 4.00 बजे विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन होना चाहिए।

विभिन्न विभागों की मांगों पर मतदान की कार्यवाही अपूर्ण होने के कारण इस नियम को शिथिल करते हुए अनुदान की मांगों पर मतदान का कार्य पूर्ण होने के उपरांत विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन होगा।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

11. वर्ष 2007-2008 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(9) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(10) श्री गोविन्द सिंह पटेल

(11) श्री ओमप्रकाश सखलेचा

(11) श्री सत्यदेव कटारे

(11) श्रीमती सरोज बच्चन नायक

(11) श्री देवेन्द्र वर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री रूस्तम सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री अंतर सिंह आर्य, जेल मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 5 जेल के लिए चौरासी करोड़, पैसठ लाख, उनचास हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 5	2,3

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री आरिफ अकील
(2) श्री लाल सिंह आर्य
(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री मनमोहन शाह "बट्‌टी"
(5) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा
(6) श्री रंजना बघेल
(7) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल

श्री अंतर सिंह आर्य, जेल मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए चार सौ तीस करोड़, दस लाख, इकतालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 9	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए सत्ताईस करोड़, सतासी लाख, सड़सठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 35	पुनर्वास के लिए पचास लाख, तिरासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए ग्यारह करोड़, छब्बीस लाख, सतहत्तर हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 58	प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए छह सौ चौबीस करोड़, तिरपन लाख, छियासठ हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 8	6
मांग संख्या - 9	2,3,7,
मांग संख्या - 35	4
मांग संख्या - 51	5
मांग संख्या - 58	3,5,9

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री राजेश पटेल

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री दिलीप भटेरे

(3) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा

(4) श्री रामलखन शर्मा

(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(6) श्री प्रियव्रत सिंह

(7) श्री बहादुर सिंह चौहान

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(8) श्री सत्यदेव कटारे

(9) श्री गिरिजा शंकर शर्मा

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(10) श्रीमती शशि ठाकुर

(11) श्री बृजमोहन धूत

(12) श्री मनमोहन शाह "बट्टी"

(13) श्री दिलीप सिंह परिहार

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 25 खनिज साधन के लिए ग्यारह करोड़,नब्बे लाख,इकतीस हजार रूपये, तथा

अनुदान संख्या - 26 संस्कृति के लिए सत्ताईस करोड़, सैंतीस लाख, पचपन हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 25	1
मांग संख्या - 26	1

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री घनश्याम सिंह
(2) श्री भूपेन्द्र आर्य
(3) श्री रामलखन शर्मा
(4) श्री मनमोहन शाह "बट्टी"
(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(6) श्री मोती कश्यप, राज्यमंत्री, मछलीपालन ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 16 मछलीपालन के लिए उन्नीस करोड़, छियासठ लाख, तिरानवे हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांग पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 16	2

मांग और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

(2) श्री ध्रुव प्रताप सिंह

(3) श्री रामलखन शर्मा

श्री मोती कश्यप, राज्यमंत्री, मछलीपालन ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघव जी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2007 (क्रमांक 5 सन् 2007) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन विधेयक 2007 (क्रमांक 30 सन् 2007) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2

डॉ. गोविन्द सिंह, श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खण्ड 2 में इस प्रकार संशोधन किया जाये :-

खण्ड 2 के उप खण्ड (1-घ) के पश्चात् निम्नलिखित उप खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात :-

(1-ङ) परन्तु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी (अलिपिकी वर्गीय) तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय सेवा का ऐसा कोई सदस्य जिसकी जन्म तिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवा निवृत्त हो जायेगा।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

(2) श्री सत्यदेव कटारे

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन विधेयक 2007 (क्रमांक 30 सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(3) श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश गौ-सेवा आयोग विधेयक, 2007 (क्रमांक 6 सन् 2007) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सत्यदेव कटारे

(2) श्री ओमप्रकाश पुरोहित

(3) श्री रामलखन शर्मा

श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 24 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री रमाकांत तिवारी, पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश गौ-सेवा आयोग विधेयक, 2007 (क्रमांक 6 सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

13. सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज दिनांक 22 मार्च, 2007 को रात्रि में विधान सभा भवन स्थित सभागृह में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है।

आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। आमंत्रित कविगण है :-

(1) डॉ. सुरेश अवस्थी, कानपुर

(2) श्री देवल आशीष, लखनऊ

(3) श्री सूर्यकुमार पाण्डे, लखनऊ

(4) श्री शशिकांत यादव, देवास

(5) श्री मदन मोहन 'दानिश', ग्वालियर

(6) श्री सुरेश उपाध्याय, होशंगाबाद

(7) श्री गुरु सक्सेना, नरसिंहपुर

रात्रि 09 बजकर 11 मिनिट पर विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च, 2007 (चैत्र 2, 1929) के पूर्वाह्न 9.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.